[2012] 9 एस.सी.आर. 895

मेधा कोटवाल लेले व अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 173-177/2009 इत्यादि)

19 अक्टूबर 2012

[आर.एम. लोढ़ा, अनिल आर. दवे और रंजन गोगोई, जे.जे.]

यौन उत्पीड़न:

कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न 'विशाखा' दिशानिर्देश सेवा नियमों और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमों में संशोधन करने और विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त संख्या में शिकायत समितियों का गठन करने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए आगे के निर्देशों का कार्यान्वयन - शिकायत समिति की रिपोर्ट होगी जांच अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही में रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा और ऐसी रिपोर्ट पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य पदाधिकारियों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी वैधानिक संस्थानों को विशाखा दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। और न्यायालय द्वारा बाद में और तत्काल निर्णय में जारी किए गए निर्देशों का सभी पंजीकृत/संबद्ध

निकायों द्वारा पालन किया जाता है - भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद। 141 जनहित याचिका.

विधान:

महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण - माना गया: विशाखा में फैसले के 15 साल बाद भी, वैधानिक कानून लागू नहीं है, यदि आवश्यक हो तो मौजूदा कानूनों को संशोधित किया जाना चाहिए और महिलाओं को किसी भी प्रकार से बचाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा उचित नए कानून बनाए जाने चाहिए। सभी स्थानों पर अभद्रता, अपमान और अपमान को सभी प्रकार की हिंसा यानी घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि को रोकने के लिए और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और उन्नति के लिए नई पहल प्रदान करने के लिए।

मामलों का तत्काल समूह प्रकृति में दायर किया गया था कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के व्यक्तिगत मामलों और विशाखा (1) दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका। न्यायालय ने समय-समय पर आदेश पारित किए और सभी राज्य सरकारों को नोटिस बी जारी किए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि निर्णय के कई वर्षों तक वैधानिक कानून लागू नहीं होने के बाद, न्यायालय ने 26.4.2004 को निर्देश दिया कि विशाखा के मामले में परिकल्पित शिकायत समिति को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) के सी उद्देश्य के लिए एक जांच प्राधिकरण माना जाएगा। नियम, 1964 और शिकायत समिति की रिपोर्ट को एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा, और

अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्य करेगा। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी) में भी इसी तरह के संशोधन किए जाएं आदेश) नियम। 17.1.2006 को, न्यायालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को विवरण एकत्र करने और उचित निर्देश देने के लिए एक नोडल एजेंट की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्रम आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया कि कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए। उठाए गए कदमों का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल किया.

मामलों का निस्तारण करते हुए, इस न्यायालय ने -

अभिनिर्धारित किया: 1.1 राज्य सरकारों द्वारा दायर हलफनामों से, यह पता चलता है कि कुछ राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों, सार्वजनिक अधिकारों और दायित्वों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है, लेकिन सिविल सेवा (आचरण) नियमों में संशोधन नहीं किया है। इसी प्रकार, कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थायी आदेशों में संशोधन नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस न्यायालय द्वारा 26.4.2004 को पारित आदेश को लागू नहीं किया है। जिन राज्यों ने सिविल सेवा (आचरण) नियमों और स्थायी आदेशों में संशोधन किए हैं, उन्होंने यह प्रावधान नहीं किया है कि शिकायत समिति की रिपोर्ट को एक जांच अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा। इन राज्यों द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि

शिकायत समिति की जांच, निष्कर्ष और सिफारिशों को महज प्रारंभिक जांच माना जाएगा, जिससे दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शिकायत समितियों का गठन नहीं किया है जैसा कि विशाखा दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है। कुछ राज्यों ने पूरे राज्य के लिए केवल एक शिकायत समिति का गठन किया है। [पैरा 9-10] [914-बी-जी]

विशाखा और अन्य। बनाम राजस्थान के राज्य और अन्य। 1997 (3) पूरक। एससीआर 404 = (1997) 6 एससीसी 241 - संदर्भित।

बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए मंच - का उल्लेख किया गया है।

1.2 विशाखा में दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन न केवल रूप में बल्कि सार और भावना में भी होना चाहिए ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं को हर पहलू में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके और इस तरह कामकाजी महिलाएं सम्मान, शालीनता के साथ काम करने में सक्षम हो सकें। और उचित सम्मान. बार एसोसिएशनों में महिला वकीलों, मेडिकल क्लीनिकों और नर्सिंग होमों में महिला डॉक्टरों और नर्सों, इंजीनियरों और आर्किटेक्टों के कार्यालयों में काम करने वाली महिला आर्किटेक्ट्स आदि के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए अभी भी कोई उचित तंत्र नहीं है। [पैरा 13] [915-डी-एफ]

सीमा लेप्चा बनाम सिक्किम राज्य और अन्य। 2012 (2) स्केल 635 - संदर्भित

1.3 हालाँकि विशाखा फैसला 13.8.1997 को आया था। इसके द्वारा दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने के 15 साल बाद भी यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए एक न्यायालय उत्पीड़न और भारत के संविधान की धारा 141 के तहत उनका उचित अनुपालन जब तक संसद द्वारा उचित कानून नहीं बनाया जाता, तब तक कई महिलाएं अभी भी बी कार्यस्थलों के रूप में संरक्षित अपने सबसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। वैधानिक कानून लागू नहीं है. यह न्यायालय उनका सुविचारित विचार है कि यदि आवश्यक हो तो मौजूदा कानूनों को संशोधित किया जाए और महिलाओं को सभी स्थानों पर (उनके घरों में भी) किसी भी प्रकार की अभद्रता, अपमान और अनादर से बचाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा उचित नए कानून बनाए जाएं। बाहर की तरह), सभी प्रकार की हिंसा घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि को रोकें और शिक्षा और उन्नति के लिए नई पहल प्रदान करें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की। [पैरा 1 और 15] [901-जी; 902-ए-बी; 916-डी-एफ]

1.4 इस न्यायालय का मानना है कि विशाखा में दिशानिर्देश प्रतीकात्मक नहीं रहने चाहिए और इस विषय पर विधायी अधिनियम बनने तक निम्नलिखित निर्देश आवश्यक हैं:

(i) जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने संबंधित सिविल सेवा (आचरण) नियमों (इन नियमों को जिस भी नाम से जाना जाता है) में पर्याप्त और उचित

संशोधन नहीं किए हैं, उन्हें दो महीने के भीतर शिकायतों की रिपोर्ट प्रदान करके ऐसा करना होगा। समिति को ऐसे सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई में एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी शिकायत समिति की रिपोर्ट/निष्कर्षों आदि को दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के निष्कर्ष के रूप में मानेगा और ऐसी रिपोर्ट पर तदनुसार कार्रवाई करेगा। शिकायत समिति के निष्कर्षों और रिपोर्ट को केवल प्रारंभिक जांच या अनुशासनात्मक जांच के रूप में कार्यवाही नहीं माना जाएगा लेकिन इसे अपराधी के कदाचार की जांच में निष्कर्ष/रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा।

(ii) जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमों में संशोधन नहीं किया है, वे अब दो महीने के भीतर उपरोक्त खंड (i) में बताए अनुसार उसी तर्ज पर संशोधन करेंगे।

(iii) राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर्याप्त संख्या में शिकायत समितियां बनाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे तालुका स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर कार्य करें। वे राज्य और/या संघ। जिन क्षेत्रों ने पूरे राज्य के लिए केवल एक समिति का गठन किया है, उन्हें अब दो महीने के भीतर पर्याप्त संख्या में शिकायत समितियां बनानी होंगी।

ऐसी प्रत्येक शिकायत समिति की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जाएगी और जहां तक संभव हो ऐसी समितियों में एक स्वतंत्र सदस्य शामिल किया जाएगा।

(iv) राज्य पदाधिकारी और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संगठन/निकाय/संस्थान आदि विशाखा दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र स्थापित करेंगे और यह भी प्रदान करेंगे कि यदि कथित उत्पीड़नकर्ता दोषी पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता-पीड़ित ऐसे उत्पीड़क के साथ/उसके अधीन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और जहां उचित और संभव हो कथित उत्पीड़क को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। आगे प्रावधान किया जाना चाहिए कि गवाहों और शिकायतकर्ताओं के उत्पीड़न और धमकी पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(v) बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करेगी कि देश के सभी बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति विशाखा दिशानिर्देशों का पालन करें। इसी तरह, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड लेखाकार, कंपनी सचिवों के संस्थान और अन्य वैधानिक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ पंजीकृत/संबद्ध संगठन, निकाय, संघ,

संस्थान और व्यक्ति विशाखा द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें। इसे प्राप्त करने के लिए, सभी वैधानिक निकायों जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा दो महीने के भीतर आवश्यक निर्देश/परिपत्र जारी किए जाएंगे। यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर वैधानिक निकायों द्वारा विशाखा दिशानिर्देशों और वर्तमान आदेश में दिशानिर्देशों के अनुसार निपटा जाएगा। [पैरा 16] [916-जी-एच; 917-ए-एच; 918-ए-डी]

1.5 यदि विशाखा दिशानिर्देशों, विशाखा और उपरोक्त निर्देशों का पालन करने वाले इस न्यायालय के आदेशों का कोई गैर-अनुपालन या गैर-पालन होता है, तो पीड़ित व्यक्तियों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करना खुला होगा, जो बेहतर होगा। उस संबंध में उठाई गई शिकायतों पर प्रभावी ढंग से विचार करने की स्थिति। [पैरा 17] [918-ई]

केस कानून संदर्भ:

1997 (3) पूरक। एससीआर 404 का उल्लेख किया गया है पैरा 1

2012 (2) स्केल 635 का उल्लेख किया गया है पैरा 1

मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 173-177/1999 इत्यादि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

साथ में

टी.सी. (सी) संख्या 21/2001, सी.ए. संख्या 5009 और 5010/2006

ए. मारियारपुथम, एजी, कॉलिन गोंसाल्वेस, टी.एस. दोआबिया, डॉ. मनीष सिंघवी, एएजी, जयश्री सातपुते, ज्योति मेंदीरत्ता, अपर्णा भट, एस उदय कुमार सागर, कृष्णकुमारसिंह, प्रसीना ई जोसफ (फॉर लाँयर'स नीट अँड कंपनी), सुनीता शर्मा, साधना संधु, बीवी बलराम दस, सुषमा सूरी, एमएस धोबिया, आशा जी नायर, एसएस रावत, रश्मि मल्होत्रा, डीएस महरा, बी बालाजी, जेएम खन्ना, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज बिस्वास, हेमनतिका वही, शैल कुमार द्विवेदी, तारा चन्द्र शर्मा, अशोक माथुर, अभिजीत सेनगुप्ता, रिकू सरमा, नवनीत कुमार (फॉर कॉर्पोरेट लाँ ग्रुप) मिलिंद कुमार, रंजन मुखर्जी, एस भोमिक्क, एससी घोष, सुशील कुमार जैन, ए सुभाषिणी, गुंटूर प्रभाकर, राजीव शर्मा, संजय आर, हेगड़े, वीजी प्रगसम, एसजे एरिस्टॉटल, प्रबुरंसुब्रमनियन, अनुव्रत शर्मा, जी। प्रकाश, टीवी जॉर्ज, मीनक्षी अरोरा, वासव अनंथरमान, नरेश के शर्मा,ख्वाइराकपम नोबिन सिंह, एस बिसवाजित मेठे, श्रीकांत एन टेरदल, वीडी खन्ना, अरुणा महतूर, नोविता (फॉर अरपूठाम, अरुणा अँड कंपनी) रचना श्रीवासटवा, बीएस बनथिया, कामाक्षी एस। महलवाल, डीपी मोहंती, (फॉर पारेख अँड कंपनी) वीएन रघुपथी, हरी शंकर क, अभिनव मउखेरजी, प्रमोद डायल, अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, मधु सिकरी, चिरर्नंजन अड्डे, श्रीश कुमार मिस्र, प्रवीण स्वरूप, अक्षय वर्मा, सुषमा वर्मा, रामेश्वर प्रदसाद गोयल, प्रगति नीखरा, मुकुल सिंह, अरुनेश्वर गुप्ता, एचएस परिहार, गोपाल प्रसाद, पीवी योगेश्वरन, अतुल झ, संदीप झ, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, और्ण क सिन्हा, रत्न कुमार धौधुरी, सुनील फेरनानदेस, शशांक कुमार लाल, एस थनंजयन, पीवी

दिनेश, मित्तर अँड मित्तर कंपनी, गोपाल सिंह, दिनेश कुमार गर्ग, चन्दन रमामूरीति, शिवाजी एम जधर, सुनील कुमार वर्मा, बिना माधवन, जोगी स्कारिया, ई एनटोली एफ़ सेमा, अमित कुमार सिंह, डी महेश बाबू, मयूर आर। शाह, अमित के नैन, पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

आर.एम. लोढ़ा, न्यायाधिपति. 1. विशाखा का फैसला 13.8.1997 को आया। फिर भी, इस न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उनके उचित अनुपालन के 15 साल बाद जब तक कि संसद द्वारा उचित कानून नहीं बनाया गया कई महिलाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं। कार्यस्थलों पर उनके सबसे बुनियादी अधिकार सुरक्षित है वैधानिक कानून लागू नहीं है. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2010 अभी भी संसद में लंबित है, हालांकि कहा जाता है कि लोकसभा ने सितंबर, 2012 के पहले सप्ताह में उस विधेयक को पारित कर दिया था। महिलाओं के लिए निष्पक्षता और न्याय में संविधान निर्माताओं का विश्वास देश में कार्यस्थलों पर इसे अभी तक पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका है।

2. चार मामलों का यह समूह - जनहित याचिका की प्रकृति मे मुख्य रूप से यह शिकायत उठाता है कि महिलाएं कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती रहती हैं। विशाखा 1 में दिशानिर्देशों का राज्य पदाधिकारियों और अन्य सभी संबंधितों द्वारा सार और भावना के उल्लंघन में पालन किया जाता है। महिला श्रमिकों को कानूनी और अतिरिक्त कानूनी

तरीकों से उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है और उन्हें अपमान और अपमान का सामना करना पड़ता है।

3. बीजिंग घोषणापत्र और प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है, "महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा महिलाओं द्वारा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के आनंद का उल्लंघन और हानि या उसे ख़त्म कर देती है सभी समाजों में, कम या ज़्यादा डिग्री के बावजूद, महिलाओं और लड़कियों को शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है जो आय, वर्ग और संस्कृति की सीमाओं से परे है।"

4. विशाखा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं के साथ-साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थानों को उनका पालन करना होगा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम सुनिश्चित करनी होगी। ये दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

> "1. कार्यस्थलों और अन्य संस्थानों में नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य: कार्यस्थलों या अन्य संस्थानों में नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे यौन उत्पीड़न के कृत्य को होने से रोकें या रोकें और सभी आवश्यक कदम उठाकर यौन कृत्यों के समाधान, निपटान या अभियोजन के लिए प्रक्रिया प्रदान करे
>
> 2. परिभाषा:

इस प्रयोजन के लिए, यौन उत्पीड़न में ऐसे अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ द्वारा) शामिल हैं:

(ए) शारीरिक संपर्क और प्रगति;

(बी) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध;

(सी) यौन-रंग वाली टिप्पणियाँ:

(डी) अश्लील साहित्य दिखाना:

(ई) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

जहां इनमें से कोई भी कृत्य ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, जहां ऐसे आचरण की पीड़िता को उचित आशंका हो कि पीड़िता के रोजगार या कार्य के संबंध में चाहे वह वेतन, या मानदेय या स्वैच्छिक रूप से प्राप्त कर रही हो, चाहे वह सरकारी, सार्वजनिक या निजी उद्यम में हो, ऐसा आचरण हो सकता है। अपमानजनक हो और इससे स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह भेदभावपूर्ण है - उदाहरण के लिए, जब महिला के पास यह मानने का उचित आधार हो कि उसकी आपत्ति उसके रोजगार या भर्ती या पदोन्नति सहित काम के संबंध में उसे नुकसान पहुंचाएगी या जब यह प्रतिकूल कार्य वातावरण बनाती है यदि पीड़ित व्यक्ति संबंधित आचरण के लिए सहमति नहीं देता है या उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाता है तो प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

3. निवारक कदम:

सभी नियोक्ताओं या कार्यस्थल के प्रभारी व्यक्तियों, चाहे वे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हों, को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस दायित्व की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

(ए) कार्यस्थल पर ऊपर परिभाषित यौन उत्पीड़न के स्पष्ट निषेध को उचित तरीकों से अधिसूचित, प्रकाशित और प्रसारित किया जाना चाहिए।

(बी) आचरण और अनुशासन से संबंधित सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के नियमों/विनियमों में यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने वाले नियम/विनियम शामिल होने चाहिए और ऐसे नियमों में अपराधी के खिलाफ उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए।

(सी) जहां तक निजी नियोक्ताओं का संबंध है, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत उपरोक्त प्रतिबंधों को स्थायी आदेशों में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

(डी) कार्य, अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उचित कार्य स्थितियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति कोई प्रतिकूल वातावरण न हो और न ही किसी महिला

कर्मचारी के पास हो। यह मानने का उचित आधार कि वह अपने रोजगार के संबंध में वंचित है।

4. आपराधिक कार्यवाही:

जहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत एक विशिष्ट अपराध की श्रेणी में आता है, नियोक्ता उचित प्राधिकारी के साथ शिकायत करके कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेगा। विशेष रूप से, इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को पीड़ित न किया जाए या उनके साथ भेदभाव न किया जाए। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के पास अपराधी के स्थानांतरण या स्वयं के स्थानांतरण की मांग करने का विकल्प होना चाहिए।

5. अनुशासनात्मक कार्रवाई:

जहां ऐसा आचरण प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा परिभाषित रोजगार में कदाचार की श्रेणी में आता है, नियोक्ता द्वारा उन नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

6. शिकायत तंत्र:

चाहे ऐसा आचरण कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमों का उल्लंघन हो, पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण के लिए नियोक्ता के संगठन में एक उचित

शिकायत तंत्र बनाया जाना चाहिए। ऐसे शिकायत तंत्र को शिकायतों का समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करना चाहिए।

7. शिकायत समिति:

ऊपर (6) में उल्लिखित शिकायत तंत्र, जहां आवश्यक हो, एक शिकायत समिति, एक विशेष परामर्शदाता या गोपनीयता बनाए रखने सहित अन्य सहायता सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

शिकायत समिति की अध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए और इसके आधे से कम सदस्य महिलाएँ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, वरिष्ठ स्तर से किसी भी अनुचित दबाव या प्रभाव की संभावना को रोकने के लिए, ऐसी शिकायत समिति में किसी तीसरे पक्ष, एनजीओ या अन्य निकाय को शामिल करना चाहिए जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित हो।

शिकायत समिति को शिकायतों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित सरकारी विभाग को एक वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी।

नियोक्ता और प्रभारी व्यक्ति सरकारी विभाग को शिकायत समिति की रिपोर्ट सहित उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन पर भी रिपोर्ट देंगे।

8. श्रमिकों की पहल:

कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के मुद्दों को श्रमिकों की बैठक और अन्य उचित मंच पर उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए और नियोक्ता-कर्मचारी बैठकों में इस पर सकारात्मक चर्चा की जानी चाहिए।

9. जागरूकता

इस संबंध में दिशानिर्देशों (और विषय पर अधिनियमित होने पर उचित कानून) को उचित तरीके से प्रमुखता से अधिसूचित करके विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

10. तीसरे पक्ष का उत्पीड़न:

जहां किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति के कार्य या चूक के परिणामस्वरूप यौन उत्पीड़न होता है, नियोक्ता और प्रभारी व्यक्ति समर्थन और निवारक कार्रवाई के संदर्भ में प्रभावित व्यक्ति की सहायता के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएंगे।

11. केंद्र/राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कानून सहित उपयुक्त उपाय अपनाने पर विचार करें कि इस आदेश द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा भी पालन किया जाए।

12. ये दिशानिर्देश मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।"

5. इन मामलों में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के कुछ व्यक्तिगत मामलों को उजागर करते हुए, मुख्य ध्यान विशाखा दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी पर है। यह कहा गया है कि राज्यों के साथ-साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विशाखा दिशानिर्देशों की अक्षरश: भावना में प्रभावी और व्यापक तंत्र स्थापित करने में उपेक्षा के रवैये ने दिशानिर्देशों के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर दिया है।

6. इनमें से एक मामले में मेधा कोटवाल लेले, इस कोर्ट ने समय-समय पर कुछ आदेश पारित किये हैं। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया। राज्यों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है 26.4.2004 को, विद्वान अटॉर्नी जनरल और राज्यों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिया

> "शिकायत समिति जैसा कि विशाखा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में परिकल्पित किया है, को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 (इसके बाद सीसीएस नियम कहा जाएगा) के प्रयोजनों के लिए एक जांच प्राधिकरण माना जाएगा और शिकायत समिति की रिपोर्ट सीसीएस नियमों के तहत एक जांच रिपोर्ट मानी जाएगी। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा।"

इस न्यायालय ने दिनांक 26.4.2004 के आदेश में आगे निर्देश दिया कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमों में भी इसी तरह का

संशोधन किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि आगे के निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे।

7. 17.1.2006 को, इस न्यायालय ने इनमें से कुछ मामलों में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "ये मामले कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 एससीसी 241 में, इस न्यायालय ने समस्या से निपटने के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे। सभी राज्य उस कार्यवाही में पक्षकार थे। अब, ऐसा प्रतीत होता है कि विशाखा मामले में जारी किए गए एफ निर्देशों को विभिन्न राज्यों/विभागों/संस्थानों द्वारा ठीक से लागू नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर एक प्रत्युत्तर हलफनामे में, विवरण प्रस्तुत किया गया है। राज्यों की ओर से पेश वकील का कहना है कि वे जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएंगे यह ज्ञात नहीं है कि क्या विशाखा मामले में सुझाई गई समितियों का गठन उन सभी विभागों/संस्थानों में किया गया है जिनमें 50 और उससे अधिक कर्मचारी हैं और सभी जिला स्तर के अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालयों में कुछ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियो के सदस्य होंगे या नही 50 से अधिक हो यह ज्ञात नहीं है कि इन सभी कार्यालयों में विशाखा मामले में परिकल्पित समितियों का

गठन किया गया है या नहीं। प्राप्त शिकायतों की संख्या और इन शिकायतों पर उठाए गए कदमों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। हम इस संबंध में कुछ और दिशा-निर्देश देना आवश्यक समझते हैं। हमने पाया है कि इस संबंध में उठाए गए कदमों के समन्वय के लिए एक राज्य स्तरीय अधिकारी होना चाहिए, यानी या तो महिला एवं बाल कल्याण विभाग का सचिव या कोई अन्य उपयुक्त अधिकारी जो प्रभारी हो और कल्याण से संबंधित हो। प्रत्येक राज्य में महिलाओं और बच्चों की संख्या। प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव यह देखेंगे कि विवरण एकत्र करने और जब भी आवश्यक हो उचित निर्देश देने के लिए एक अधिकारी को नोडल एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाए।

जहां तक फैक्ट्रियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का सवाल है, निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य के श्रम आयुक्त उस दिशा में कदम उठाएंगे। वे दुकानों, कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे। वे शिकायतों से संबंधित विवरण भी एकत्र करेंगे और यह भी देखेंगे कि ऐसे संस्थानों में आवश्यक समिति स्थापित की गई है।

प्रत्येक राज्य की ओर से उपस्थित वकील आठ सप्ताह की अवधि के भीतर यह विवरण प्रस्तुत करेंगे कि इस निर्देश के अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा पेपरबुक में दिए गए प्रारूप में दिखाए अनुसार विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रारूप की एक प्रति आदेश का हिस्सा बनेगी। सुनवाई की अगली तारीख पर उपरोक्त तथ्य आवश्यक हैं। उचित कार्रवाई के लिए इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य श्रम आयुक्त को भेजी जाए।"

8. राज्य सरकारों द्वारा दायर हलफनामों से इनमें से प्रत्येक राज्य के संबंध में निम्नलिखित स्थिति सामने आती है:

गोवा

सिविल सेवा आचरण नियम और स्थायी आदेश में अब तक संशोधन नहीं किया गया है.

गुजरात

सिविल सेवा आचरण नियम एवं स्थायी आदेश में अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि सभी शिकायत समितियों की अध्यक्षता महिलाएँ करती हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऐसी समितियों में एनजीओ के सदस्य जुड़े हुए हैं या नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सिविल सेवा आचरण नियम में संशोधन किया गया है। स्थाई आदेशों में संशोधन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यह निर्दिष्ट नहीं

किया गया है कि सभी शिकायत समितियों की अध्यक्षता महिलाएँ करती हैं।

हिमाचल प्रदेश

ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमों और स्थायी आदेशों में संशोधन किया है। शिकायत समितियों के गठन का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

हरियाणा

सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1966 में संशोधन किया गया है। हालाँकि, यह निर्दिष्ट नहीं है कि स्थायी आदेशों में संशोधन किए गए हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1974 में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। श्रम आयुक्त ने मुंबई औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, 1959 में संशोधन के लिए कदम उठाया है।

मिजोरम

मिजोरम राज्य ने सिविल सेवा में संशोधन किया है कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय शिकायत समिति का भी गठन किया संरक्षण और प्रवर्तन के लिए सभी कार्यस्थल। सभी निजी निकायों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है

सिक्किम

सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किए गए हैं और कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की जांच के लिए 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले विभागों/संस्थानों द्वारा शिकायत समितियों के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है।

<u>उत्तराँचल</u>

उत्तरांचल राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमों के साथ-साथ स्थायी आदेशों में भी संशोधन किया है। जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय शिकायत समितियाँ का गठन किया गया है

<u>पश्चिम बंगाल</u>

सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। स्थायी आदेशों में संशोधन किये गये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के 56 विभागों में से 48 विभागों में शिकायत समितियाँ गठित की गई हैं और सरकार के अधीन 156 निदेशालयों में से 34 निदेशालयों में शिकायत समितियाँ बनाई गई हैं। सरकार के अधीन 24 संस्थानों में से शिकायत समितियां 6 में गठित किये गये हैं।

<u>मध्य प्रदेश</u>

हालाँकि मध्य प्रदेश राज्य ने बनाया है सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन लेकिन स्थायी आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। शिकायत समितियाँ विभाग के प्रमुख स्तर से लेकर जिला और तालुका स्तर तक हर विभाग के प्रत्येक कार्यालय में गठित की गई हैं। जिला स्तरीय समितियों का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। जिला समितियों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी नोडल विभागों द्वारा की जाती है।

<u>पंजाब</u>

पंजाब राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमों के साथ-साथ स्थायी आदेशों में संशोधन किया है, विभिन्न निदेशालयों के मुख्यालयों में 70

शिकायत समितियों का गठन किया गया है और विभिन्न फील्ड कार्यालयों में 58 शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

ओडिशा

सिविल सेवा आचरण नियम एवं स्थाई आदेश में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश

सिविल सेवा आचरण नियम एवं स्थाई आदेश में संशोधन किया गया है।

कर्नाटक

सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन कर्नाटक राज्य द्वारा किए गए हैं लेकिन स्थायी आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। बताया जाता है कि अधिकांश समितियों में महिला सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है. अध्यक्ष महिलाएं हैं और अधिकांश समितियों में जी एक बाहरी सदस्य, यानी एक एनजीओ को जोड़ा गया है।

राजस्थान

राजस्थान राज्य ने इसमें संशोधन किया है लेकिन स्थायी आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

बिहार

बिहार राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किए हैं लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि स्थायी आदेशों में संशोधन किए गए हैं। हालाँकि, पूरे राज्य के लिए केवल एक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

मेघालय

मेघालय राज्य ने न तो सिविल सेवा आचरण नियमों में और न ही स्थायी आदेशों में संशोधन किया है

त्रिपुरा

त्रिपुरा राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किया है, राज्य में कोई स्थायी आदेश लागू नहीं हैं। राज्य सरकार के अधिकांश विभागों एवं संगठनों में 97 शिकायत समितियाँ गठित की गई हैं।

असम

एफ सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किया गया है लेकिन स्थायी आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मणिपुर

मणिपुर राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किया है, लेकिन स्थायी आदेशों में संशोधन के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई है। पूरे राज्य के लिए एक ही शिकायत समिति का गठन किया गया है

उत्तरप्रदेश

सिविल सेवा आचरण नियम और स्थायी आदेश दोनों में संशोधन किये गये हैं।

जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किया है। बताया गया है कि स्थायी आदेशों में संशोधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

नागालैंड

नागालैंड राज्य द्वारा सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किए गए हैं लेकिन स्थायी आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश राज्य ने न तो सिविल सेवा आचरण नियमों में और न ही स्थायी आदेशों में संशोधन किया है। पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए केवल एक राज्य स्तरीय समिति है।

<u>केरल</u>

सिविल सेवा आचरण नियमों और स्थायी आदेशों में संशोधन किये गये हैं। राज्य में 52 शिकायत समितियां हैं। ऐसी सभी समितियों की अध्यक्ष महिलाएं होती हैं और इन समितियों में 50% सदस्य महिलाएं होती हैं और इन समितियों में एनजीओ सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।

<u>तमिलनाडु</u>

तमिलनाडु राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किया है। हालाँकि, अभी तक स्थायी आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

<u>झारखंड</u>

झारखंड राज्य ने सिविल सेवा आचरण नियमावली में संशोधन किया है. हालाँकि, अभी तक स्थायी आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

9. राज्य सरकारों द्वारा दायर हलफनामे से यह पता चलता है कि उड़ीसा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों, सार्वजनिक अधिकारों और दायित्वों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है, लेकिन नहीं किया है। सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन किया। इसी तरह, सिक्किम, मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, उड़ीसा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, कर्नाटक, राजस्थान मेघालय, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु। स्थायी आदेशों में संशोधन नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है

कि इन राज्यों ने इस न्यायालय द्वारा 26.4.2004 को पारित उपरोक्त आदेश को लागू नहीं किया है। जिन राज्यों ने सिविल सेवा आचरण नियमों और स्थायी आदेशों में संशोधन किए हैं, उन्होंने यह प्रावधान नहीं किया है कि शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही में रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा। इन राज्यों द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत समिति की जांच, निष्कर्ष और सिफारिशों को महज प्रारंभिक जांच माना जाएगा, जिससे दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

10. ऐसा लगता है कि राजस्थान, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों ने विशाखा दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत समितियों का गठन नहीं किया है। कुछ राज्यों ने पूरे राज्य के लिए केवल एक शिकायत समिति का गठन किया है।

11. केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और पुदुचेरी ने स्थायी आदेशों में संशोधन नहीं किया है। ऐसा लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन नहीं किया है। बताया जाता है दादरा और नगर हवेली और चंडीगढ़ जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक शिकायत समितियां गतिठ नहीं की हैं। कुछ राज्यो ने पूरे राज्यो के लिए केवल एक शिकायत समिति का गठन किया है।

12 हालांकि हम स्थानीय स्वशासन में लैंगिक समानता लाने में काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निराशाजनक है क्योंकि महिलाएं कुल सीटों का केवल 10-11

प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती हैं। संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता सूचकांक में भारत 147 देशों में से 129 वें स्थान पर है। यह अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण-एशियाई देशों से कम है। हमारे संविधान निर्माता महिलाओं के लिए निष्पक्षता और न्याय में विश्वास करते थे। उन्होंने संविधान में लैंगिक समानता और लैंगिक समानता की राज्यों की प्रतिबद्धता और महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ गारंटी प्रदान की।

13. विशाखा में दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन न केवल रूप में बल्कि सार और भावना में भी होना चाहिए ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं को हर पहलू में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके और इस तरह कामकाजी महिलाओं को सम्मान, शालीनता के साथ काम करने में सक्षम बनाया जा सके। उचित सम्मान। बार एसोसिएशनों में महिला वकीलों, मेडिकल क्लीनिकों और नर्सिंग होमों में महिला डॉक्टरों और नर्सों, इंजीनियरों और आर्किटेक्टों के कार्यालयों में काम करने वाली महिला आर्किटेक्ट्स आदि के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए अभी भी कोई उचित तंत्र नहीं है। इसके आगे।

14. सीमा लेप्चा (2) में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिये।

> "(1) राज्य सरकार विशाखा के मामले में इस न्यायालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों और मेधा कोतवाल के मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इसके द्वारा जारी अधिसूचनाओं और आदेशों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर व्यापक प्रचार करेगी।

2 सीमा लेप्चा बनाम सिक्किम राज्य एवं अन्य। [अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 34153/2010 पर 3 2 2012 को निर्णय लिया गया। प्रत्येक दो माह में प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार हो रहा है। विशाखा के मामले में बनाए गए दिशानिर्देशों और मेधा कोटवाल के मामले में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में दूरदर्शन स्टेशन, सिक्किम पर हर महीने व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

(iii) सिक्किम राज्य का समाज कल्याण विभाग और कानूनी सेवा प्राधिकरण भी राज्य सरकार द्वारा न केवल राज्य के सरकारी विभागों और इसकी एजेंसियों/उपकरणों के लिए बल्कि निजी के लिए भी जारी अधिसूचनाओं और आदेशों का व्यापक प्रचार करेगा। कंपनियाँ।"

15. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करना होगा। हमारा सुविचारित विचार है कि यदि आवश्यक हो तो मौजूदा कानूनों को संशोधित किया जाए और महिलाओं को सभी स्थानों पर (उनके घरों के साथ-साथ घरों में भी) किसी भी प्रकार की अभद्रता, अपमान और अनादर से बचाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा उचित नए कानून बनाए जाएं। बाहर)। सभी प्रकार की हिंसा - घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि - को रोकें और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा

और उन्नति के लिए नई पहल प्रदान करें। आख़िरकार उनमें असीमित क्षमता है। दिखावटी बातें, खोखली बयानबाजी और लापरवाही से लागू करने वाले निष्क्रिय और अपर्याप्त कानून हमारी आधी सबसे कीमती आबादी - महिलाओं - के सच्चे और वास्तविक उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

16. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसमें हमारा सूविचारित विचार है कि विशाखा में दिशानिर्देश प्रतीकात्मक नहीं रहने चाहिए और विषय पर विधायी अधिनियम बनने तक निम्नलिखित दिशानिर्देश आवश्यक हैं।

(1) जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने यहां पर्याप्त और उचित संशोधन नहीं किए हैं संबंधित सिविल सेवा आचरण नियम (चाहे इन नियमों को किसी भी नाम से जाना जाए) आज से दो महीने के भीतर यह प्रावधान करके ऐसा करेंगे कि शिकायत समिति की रिपोर्ट को ऐसे सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई में एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी शिकायत समिति की रिपोर्ट/निष्कर्षों आदि को दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के निष्कर्ष के रूप में मानेगा और ऐसी रिपोर्ट पर तदनुसार कार्रवाई करेगा। शिकायत समिति के निष्कर्षों और रिपोर्ट को केवल प्रारंभिक जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे अपराधी के कदाचार की जांच में निष्कर्ष/रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा।

(ii) जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमों में संशोधन नहीं किया है, वे अब दो महीने के

भीतर उसी तर्ज पर संशोधन करेंगे, जैसा कि ऊपर खंड (i) में बताया गया है।

(iii) राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर्याप्त संख्या मे शिकायत समितिया बनाएँगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की वे तालुका स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर कार्य करे। वे राज्य और/केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने पूरे राज्य के लिए केवल एक समिति का गठन किया है, वे अब आज से दो महीने के भीतर पर्याप्त संख्या में शिकायत समितियां बनाएंगे। ऐसी प्रत्येक शिकायत समिति की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जाएगी और जहां तक संभव हो ऐसी समितियों में एक स्वतंत्र सदस्य शामिल किया जाएगा।

(iv) राज्य पदाधिकारी और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संगठन/निकाय/संस्थाएं आदि विशाखा दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र स्थापित करेंगे और यह भी प्रदान करेंगे कि यदि कथित उत्पीड़नकर्ता दोषी पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता - पीड़ित ऐसे उत्पीड़क के साथ/उसके अधीन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और जहां उचित और संभव हो कथित उत्पीड़क को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि गवाहों और शिकायतकर्ताओं को परेशान करने और डराने धमकाने पर पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(v) बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करेगी कि देश के सभी बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति विशाखा

दिशानिर्देशों का पालन करें। इसी तरह, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज और अन्य वैधानिक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ पंजीकृत/संबद्ध संगठन, निकाय, संघ, संस्थान और व्यक्ति विशाखा द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें। इसे प्राप्त करने के लिए, सभी वैधानिक निकायों जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा आज से दो महीने के भीतर आवश्यक निर्देश/परिपत्र जारी किए जाएंगे। ऊपर उल्लिखित किसी भी स्थान पर यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर वैधानिक निकायों द्वारा विशाखा दिशानिर्देशों और वर्तमान आदेश में दिशानिर्देशों के अनुसार निपटा जाएगा।

17. हमारा विचार है कि यदि विशाखा दिशानिर्देशों, विशाखा और उपरोक्त निर्देशों के बाद इस न्यायालय के आदेशों का कोई गैर-अनुपालन या गैर-पालन होता है, तो पीड़ित व्यक्तियों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करना खुला होगा। ऐसे राज्य का उच्च न्यायालय उस संबंध में उठाई गई शिकायतों पर प्रभावी ढंग से विचार करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।

18. उपरोक्त याचिकाओ का टीसी और अपीलों सहित निस्तारण बिना किसी क्षतिपूर्ति के किया गया।

आर.पी.

मामलों का निपटारा किया गया.

(1) विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 1997(3) पूरक एस सी आर 404

(2) सीमा लेपचा बनाम सिक्किम राज्य और अन्य (अपील की विशेष अनुमति से पचिका (सिविल) संख्या 34153/2010 निर्णित 3.2.2012

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से **न्यायिक अधिकारी श्री अमरसिंह खारडिया (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****